UPRP010058882017

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 9 रामपुर।

उपस्थितः– सुमित पंवार, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

(J.O.Code–UP2692)

सत्र परीक्षण संख्या–454/2017

रजि०नं०–473/2017

उत्तर प्रदेश राज्य––––––––––––––––––––––––––––––––––**अभियोजन पक्ष**

बनाम

1– कुंवर पाल पुत्र सोहनलाल

2– सुरेन्द्र पुत्र रामपाल नि०गण ग्राम टाण्डा थाना शाहबाद रामपुर

3– करन सिंह पुत्र सुन्दरलाल कश्यप नि० टाण्डा थाना शाहबाद रामपुर

4– नरेन्द्र पुत्र नरेश नि० परीता थाना शाहबाट रामपुर––––––––––––––**अभियुक्तगण**

मु०अ०सं०–606/2016

धारा–307 भा०दं०सं०

थाना–शाहबाद, जिला रामपुर

निर्णय

1– थाना शाहबाद, जिला रामपुर के द्वारा मु०अ०सं० 606/2016 में अभियुक्तगण **कुंवर पाल, करन सिंह, सुरेन्द्र व नरेन्द्र** के विरूद्व प्रेषित आरोप पत्र अर्न्तगत धारा 307 भा०दं०सं० पर विचारण किया गया है, जिसका प्रसंज्ञान लेकर न्यायिक विचारण हेतु न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज(सी०डि)/त्वरित न्यायालय, रामपुर द्वारा आदेश दिनांकित 04.12.2017 के माध्यम से सत्र न्यायालय को विचारण हेतु सुपुर्द किया गया है, उसके पश्चात पत्रावली स्थानान्तरित होकर विचारण कियेजाने हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुई है।

अभियोजन पक्ष के तथ्य

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा राजेश कुमार सक्सैना द्वारा थाना शाहबाद जिला रामपुर में इस आशय की तहरीर दी गयी कि " दिनांक 23.09.2016 को मै उप नि0 राजेश कुमार सक्सेना मय का0 841 दीपक कुमार यादव के साथ थाना हाजा से बहवाले र0न0 49 समय 19.00 बजे वास्ते तलास वाछित व सक्रिय अपराधीगण व गश्त मे रवाना हल्का न0 5 में होकर जब हम लोग टाण्डा तिराहे पर पहुंचे तो टाण्डा रोडगस्त के कर्मचारी का0 606 महावीर सिंह व कां0 1335 नवीन कुमार मिले जिन्हे साथ में लिया गया कि उसी समय प्रधान प्रेमपाल के नौकर जाबिर व इशवीर पुत्रगण नवीजान नि० नियामत पुर थाना मुण्डापाण्डे जिला मुरादाबाद ने आकर सूचना दी कि साहब जिन बदमाशो ने 30/31.08.2016 की रात में प्रधान के घर लूट की थी वह चारों बदमाश अभी अभी सिरौली टाण्डा रोड से जगेशर जाने वाले रास्ता तिराहा पर खड़े है शायद किसी घटना करने के चक्कर में है यदि जल्दी करे तो पकडे जा सकते हैं। इस सूचना पर मै उप नि० मय हमराही फोर्स व जनता के दोनों गवाहों को साथ लेकर अपनी दो कुल तीन मोटरसाईकिलो जिनमे एक मेरी एक गस्त वाले कर्मचारीगण का० महावीर सिह की व तीसरी जनता के व्यक्तियों दोनो की थी से तिराहे के पास पहुंचे तो मोटरसाईकिल की हेडलाईट की रोशनी में तिराहा से करीब 30 कदम पहले चारों बदमाश खड़े दिखाई दिये इनके करीब पहुंचे ही थे कि इन चारों ने हम पुलिस वालो को पहचान लिया तभी एक बदमाश ने कहा कि पुलिस आ गयीं इनके फायर मारो और इतना

Digitally signed by Sumit Panwar
Date: 2026.07.28 16:26:39 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

कहते ही इन बदमाशों ने ताबडतोड हम पुलिस वालों को जान से मारने की नियत से दो फायर किये कि हम लोगो ने बड़ी फुर्ती से ट्रैनिंग की सिखलाई का फायदा उठाते हुए मोटरसाईकिलो को एकदम साईड स्टैंड पर बड़ी करके इनके पीछे छिपकर अपनी जाने बचायी और गोली से बाल बाल बच गये तभी हम पुलिस वालो ने इन बदमाशो को ललकारते हुए कहा घेरो पकड़ लो कि मेरी ललकार पर इन बदमाशो मे बलबली मच गयी यह बदमाश घबराकर पीछे मुड़कर खेतों की तरफ भाग निकले कि हम पुलिस वालो ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपनी जान की परवाह न करते हुए दोड़कर घेरकर गिरफ्तारी हेतू आवश्यक बल प्रयोग कर एक बदमाश को पकड लिया तीन बदमाश भाग गये जिनका पीछा करने पर भी हाथ नहीं आये इस पकडे बदमाश का नाम पता पूछने पर इसने अपना नाम करन सिंह पुत्र सुन्दरलाल कश्यप नि० टाण्डा थाना शाहबाद रामपुर बताया इसकी जामातलाशी लेने पर इसके दाहिने हाथ से एक तमचा देशी 315 बोर बरामद हुआ जिसकी नाल लोहा लम्बाई करीब 7 अगुल अगले सिरे पर निशाना लगाने को मक्खी लगी वाडी की लठ करीब 4 अंगुल लोहा की जिसमे नीचे आगे की तरफ नाल खोलने वन्द करने के लिए एक घोड़ा (खटका) इसके फायर करने के लिए एक खटका ऊपर हैमर फायरिंग पिन लगी तथा बैटी की लम्बाई करीब 4 अगुल दोनो तरफ क्रीम कलर की सनमाईका की चापे लगी है चालू हालत में है तमंचे की नाल को खोलकर देखा तो एक खोखा कारतूस फंसा है इसे नाल से निकालकर देखा व सूंघा तो ताजे बारूद की गन्ध आ रही है खोखा पर फायरिंग पिन की चोट का निशान है तथा पैंदी पर 9 एमएम के०एफ० लिखा है। इन बदमाशों को तिराहा से करीब 30 कदम जगेशर की तरफ सडक पुख्ता पर समय करीब 20–30 बजे पकड लिया इसके भागने वाले साथियों के नाम पूछे तो उनके नाम 1 कुंवर पाल पुत्र सोहनलाल 2. सुरेन्द्र पुत्र रामपाल नि०गण ग्राम टाण्डा थाना शाहबाद रामपुर तथा 3. नरेन्द्र पुत्र नरेश नि० परीता थाना शाहबाट रामपुर बताया जिन्हे मोटरसाईकिल की हेडलाईट की रोशनी में मैने व हमराहीयान ने देखा जाना व पहचाना है जनता के गवाहान उपरोक्त द्वारा भी पहचान लिया गया है हम पुलिस वाले इन्हें पहले से जानते पहचानते है मौके पर गिरफ्तारी प्रपत्र बनाया गया तमचा कारतूस रखने का लाईसेन्स तलब किया गया तो दिखाने में कासिर रहे इनको इनके जुर्म धारा 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट तथा मु0 अ 0 स 0 580/16 धारा 457/380 भावि से तरमीम 392 भादवि से अवगत कराते हुए इस लूट की घटना मे भी हिरासत कब्जा पुलिस मे लिया गया गिरफ्तारी के समय मा० सर्वोच्च व्यायालय व मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशो का पालन किया गया दीपक को प्रधान की कोठी पर जाकर एक प्लास्टिक का डिब्बा मंगवाकर इसमे तमंचा कारतूस खोखा कारतूस रखकर सील सर्वे मोहर मय नमूना मोहर कर फर्द मौके पर मैंने टार्चो की रोशनी में लिख पढ़कर हमराहीयान गवाहान को पढ़कर सुनाकर गवाही गवाहान करायी जाती है विस्तृत पूछताछ थाने पर की जायेगी हस्ताक्षर जाबिर हस्ताक्षर इशकिर हस्ताक्षर का० दीपक कुमार हस्ताक्षर का० महावीर सिहं हस्ताक्षर कां० नवीन कुमार हस्ताक्षर अपठित अग्रेजी राजेश कुमार सक्सैना थाना शाहबाद रामपुर दिनांक 23.09.2016 नोट थाना पहुंचकर अभि० की गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजन को दी जायेगी फर्द की नकल दी जाती है निशानी अंगुठा बनवाया जाता है नि०अ० करन सिहं हस्ताक्षर अपठित अग्रेजी राजेश कुमार सक्सैना दि० 23.09.2016 नोट मैं कां० कलर्क 900 जोगेनद सिंह प्रमाणित करता हूं कि फर्द की नकल मेरे द्वारा बोल बोल कर कम्प्यूटर पर कम्प्यूटर आपरेटर सुमकित त्यागी द्वारा शब्द व शब्द अंकित करायी गयी जो संलग्न मूल एफआईआर है''

3– वादी मुकदमा द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण कुंवर पाल, करन सिंह, सुरेन्द्र व नरेन्द्र के विरूद्व मु०अ०सं० 606/2016 धारा–307 भा०दं०सं० का अभियोग थाना शाहबाद, जिला रामपुर में पंजीकृत किया गया।

4– विवेचक द्वारा उक्त प्रकरण की विवेचना प्रांरम्भ की गयी एवं विवेचक द्वारा वादी मुकदमा एवं अन्य गवाहान के बयान अंकित किये गये एवं सम्पूर्ण विवेचनोपरान्त अभियुक्तगण कुंवर पाल, करन सिंह, सुरेन्द्र व नरेन्द्र के विरूद्ध धारा 307 भा०दं०सं० के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

5– अभियोजन की ओर से मामले में प्रेषित आरोप पत्र पर प्रसंज्ञान लेकर अभियुक्तगण को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 के अनुपालन में अभियोजन प्रपत्रों की प्रतियां प्रदान की गयी। मामला सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय होने के कारण न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज(सी०डि)/त्वरित न्यायालय, रामपुर द्वारा आदेश दिनांकित 04.12.2017 को मामले को सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया है। सत्र न्यायालय के आदेश से विचारण हेतु प्राप्त वाद में दिनांक 08.06.2018 को अभियुक्तगण कुंवर पाल, करन सिंह, सुरेन्द्र व नरेन्द्र के विरुद्ध धारा 307 सपठित 34 भा०दं०सं० के अन्तर्गत आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण ने उक्त आरोपित अपराध से इंकार किया एवं विचारण की मांग की।

<u>अभियोजन साक्ष्य</u>

6– अभियोजन की तरफ से मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित साक्षीगण परीक्षित किये गये।

1.	राजेश कुमार सक्सेना(वादी मुकदमा)	पी०डब्लू० 1
2.	उपरनिरीक्षक जोगेन्द्र सिंह	पी०डब्लू० 2
3.	उपनिरीक्षक संदीप कुमार	पी०डब्लू० 3
4.	हेड० का० 523 नवीन कुमार	पी०डब्लू० 4

7– दौरान विचारण साक्षियों ने निम्नलिखित अभियोजन प्रपत्रों की प्रमाणिकता को साबित किया जो इस प्रकार है–

1.	फर्द	प्रदर्श क–1
2.	गिरफ्तारी प्रपत्र	प्रदर्श क–2
3.	चिक एफ०आई०आर०	प्रदर्श क–3
4.	जी०डी०	प्रदर्श क–4
5.	सी०डी०	प्रदर्श क–5
6	नक्शा नजरी	प्रदर्श क–6
7	प्लास्टिक का डिब्बा	वस्तु प्रदर्श–1
8	तमंचे	वस्त प्रदर्श–2
9	दो जिन्दा कारतूस	वस्तु प्रदर्श–3, 4
10	खोखा कारतूस	वस्तु प्रदर्श–5

8– अभियोजन का साक्ष्य समाप्त होने के उपरांत प्रत्येक अभियुक्त का बयान अर्न्तगत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया, जिसमें प्रत्येक अभियुक्त ने अपने बयान में अभियोजन साक्षी द्वारा दिये गये बयान गलत व झूठा दिया जाना बताया तथा प्रत्येक अभियुक्त ने कथन किया कि वे निर्दोष है तथा उन्हें झूठा फसाया गया है। प्रतिरक्षा में अभियुक्तगण की ओर से सफाई साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने से इंकार किया। तदोपरांत बचाव पक्ष के साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया।

9– विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) के द्वारा बहस के दौरान यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा दिनांक दिनांक 23.09.2016 को समय 8.30 बजे बहद स्थान जंगल ग्राम जगेसर, थानाक्षेत्र शाहबाद, जिला रामपुर में आपने एकराय होकर सामान्य आशय के अग्रसरण में जान से मारने के आशय, ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में वादी मुकदमा उप निरीक्षक राजेश कुमार सक्सेना व उसके साथी अन्य पुलिस कर्मियों के ऊपर आग्नेयास्त्र से फायर किया यदि आपके उक्त कार्य से वादी रजेश कुमार सक्सेना व उसके साथी अन्य पुलिस कर्मियों में से किसी की मृत्यु हो जाती तो आप हत्या के दोषी होते। उक्त घटना की पुष्टि साक्षीगण के बयान से होती है। अतः अभियोजन केस पूर्णतया साबित है। अतः अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तगण को दोषसिद्व किये जाने की याचना की।

10– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान यह तर्क प्रस्तुत करते हुये कथन किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा जो अभियोग अभियुक्तगण पर लगाया गया है, वह बिल्कुल निराधार एवं मिथ्या है। अभियुक्तगण ने कोई घटना कारित नही की है। अभियोजन की ओर से परीक्षित तथ्य के गवाहान के बयान में गंभीर विरोधाभासी तथ्य आये है। इसके अतिरिक्त अन्य औपचारिक साक्षीगण के बयानों में गंभीर विरोधाभास है। अतः अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी।

11– उभयपक्षों के तर्को को सुनने एवं पत्रावली पर प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के संबंध में वर्तमान प्रकरण के प्रभावी निस्तारण हेतु निम्नलिखित अवधार्य बिन्दु विरचित किये जाते है–

1–क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 23.09.2016 को समय 8.30 बजे बहद स्थान जंगल ग्राम जगेसर, थानाक्षेत्र शाहबाद, जिला रामपुर में आपने एकराय होकर सामान्य आशय के अग्रसरण में जान से मारने के आशय, ज्ञान से वादी मुकदमा उप निरीक्षक राजेश कुमार सक्सेना व उसके साथी अन्य पुलिस कर्मियों के ऊपर आग्नेयास्त्र से फायर किया ?

12– अभियुक्तगण पर धारा 307 भा०दं०सं० का आरोप है, जिन्हें निम्न परिभाषित किया गया है–

धारा–307 भा०द०सं०–हत्या करने का प्रयत्न–जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता तो वह हत्या का दोषी होता, वह दोनो में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो जाए तो वह अपराधी या तो आजीवन कारावास से या ऐसे दण्ड से दण्डनीय होगा, जैसा कि एतस्मिनपूर्व वर्णित है।

13– आपराधिक मामलों में अभियोजन कथन को सिद्ध करने का भार अभियोजन पक्ष पर होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **नासिक शैलेन्द्र शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य 2005 एसएआर क्रिमिनल पृष्ठ 459** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अपराध विधि का मूलभूत सिद्धान्त है कि अभियोजन पक्ष को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करना होता है। जबकि बचाव पक्ष को अपने मामले में सम्भाव्यता मात्र दर्शित करनी होती है और जो बचाव लिया जाता है, उसके सम्बन्ध में अभिलेख पर कुछ तथ्य होना चाहिए जो अभियोजन साक्षीगण को दिये गये सुझाव के रूप में हो सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त दिशानिर्देशों के प्रकाश में ही पत्रावली पर आये समस्त मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का विश्लेषण किया जाना न्यायोचित है।

14– अभियोजन द्वारा साक्षी **पी०डब्लू०–1 राजेश कुमार सक्सैना**, जो उक्त अभियोग का वादी मुकदमा है, को परीक्षित कराया गया। उक्त साक्षी ने अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया कि कि दिनांक 23.09.2016 को मैं थाना शाहबाद रामपुर पर उ०नि० के पद पर कार्यरत था। उस दिन में अपने साथ कां० दीपक कुमार यादव को थाने से रपट न० 49 समय 19:00 बजे

वास्ते तलाश वांछित व सक्रिय अपराधीगण में रवाना होकर हलका नं० 5, में टाण्डा तिराहे पर पहुंचें तो वहा पर रोड गस्त के कर्मचारी को० महावीर सिंह व कां० नवीन कुमार मौजूद मिले उसी समय प्रधान प्रेमपाल के नोकर जाविर व इशवीर पुत्र गण नवीजान नि० नियामतपुर थाना मूढापाण्डे जिला मुरादाबाद जिन्होनें मुझे सूचना दी कि साहब जिन बदमाशों ने 30/31.08.2016 को रात में प्रधान के घर में लूट की थी वह चारो बदमाश अभी सिरोली टाण्डा रोड से जगेश्वर जाने वाले सडक तिरहो पर खडे हैं शायद किसी घटना के चक्कर में है जल्दी कर ले तो पकड़े जा सकते है। इस सूचना पर मैंने उक्त गवाहन व गस्त के दोनों कर्मचारियों को साथ लेकर अपनी अपनी मोटर सं० से मुखबिर के बातये स्थान पहुंचे तो मोटर सां० की हेड लाईट की रोशनी में तिराहे से करीब तीस कदम पहले चारो बदमाश खडे दिखाई दिये इनके करीब पहुंचने पर बदमाशों ने हम पुलिस वालों को पहचान लिया और जान से मारने की नियत से बदमाशो ने हम पुलिस वालों पर तबडतोड दो फायर किये जिससे हम लोग बालबाल बच गये। हम लोगों ने बदमाशों को ललकारा और दोडकर घेर कर आवश्यक बल प्रयोग कर समय करीब 20–30 बजे पकड लिया। पकडे गये बदमाश ने अपना नाम करन सिंह पुत्र सुन्दर नि० ग्राम टाण्डा बताया मौके से तीन बदमाश कुबरंपाल, नरेन्द्र, व सुरेन्द्र भाग गये। पकडे गये बदमाश ने अपने तीनों साथियों के नाम बतायें जिनको मैं पहले से ही जानता पहचानता हूं। पकडे गये बदमाश की जामातलाशी लेने पर उनके दाहिने हाथ से एक तमंचा 315 बोर औश्र पहनी पेट की दाहिनी जेब से कारतूस 315 बारे दो अदद बरामद हुए। मौके से अपने साथ में लाये कां० दीपक कुमार को प्रधान प्रेमपाल के घर पर भेज कर एक प्लास्टिक का डिब्बा मगबाया गया जिसमें बरामद तमंचा तथा खोखा कारतूस जिसे नाल से बाहर निकाल लिया गया था तथा जिन्दा दो कारतूस को रखकर सील सर्वे मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया। फर्द मौके पर मेरे द्वारा तैयार की गयी जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जो पत्रावली पर उपलब्ध है जिस पर हमराही कर्मचारीगण के हस्ताक्षर बनबाये गये हैं मोके पर ही गिरफ्तारी प्रपत्र भी मेरे द्वार तैयार किया गया जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर मे है गिरफ्तारी के समय मनवाधिकार आयोग व माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन किया गया। फर्द की नकल अभियुक्त करन सिंह का देकर उसका निशानी अंगूठा बनवाया गया। गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों को भिजवायी गयी माल व मुल्जिम को ले जाकर थाने पर मुकदमा कायम कराया गया बरामद तमंचा का हुलिया मुताविक फर्द है। पत्रावली पर मौजूद कांगज सं० 3 क/5 जो कि मूल फर्द है जो मेरे द्वारा मौके पर तेयार की गयी थी जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है व हमराही कर्मचारीगण के हस्ताक्षर है जिस पर प्रदर्श क 1, डाला गया। इस स्तर पर एक सील बंद प्लास्टिक का डिब्बा माननीय न्यायालय के समक्ष खोला गया जिसमें एक तमंचा 315 बोर व दो जिन्दा कारतूस व एक खोखा कारतूस निकले जिन पर वस्तु प्रदर्श क्रमशः 1 प्लास्टिक के डिब्बे पर डाला गया। तमंचे पर वस्तु प्रदर्श 2, जिन्दा कारतूस पर तथा वस्तु प्रदर्श 3,4, खोखा कारतूस पर वस्तु प्रदर्श 5 डाला गया। पत्रावली पर मौजूद कांगज सं० 7 ख/26. जो कि अभियुक्त का गिरफ्तारी प्रपत्र है जो मेरे द्वारा तैयार किया गया है जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिस पर अभियुक्त के भी हस्ताक्षर है जिस पर प्रदर्श क 2 डाला गया।

15– पी०डब्लू० 1 ने अपनी **जिरह** में कथन किया कि मैं शाम को सात बजे थाने से चले थे। रबानगी थाने पर दर्ज करायी थी। साथ में सूई धागा इत्यादि लेकर चले थे। हमें सूचना जाविर व इशवीर के द्वारा सूचना मिली थी। कि प्रधान की चोरी के चोर जगेश्वर जाने वाले तिराहे पर खडे है। उस चोरी वाले मुकदमें का विवेचक भी मैं ही हूं। मुझे ध्यान नहीं कि चोरी की रपट मुल्जिमान के विरूद्ध नाम दर्ज लिखी गयी या नहीं। मुझे गवाहन जाविर व इशवीर ने मुल्जिमान के बारे मे बताया था। मुझे मुल्जिमान जगेश्वर जाने वाले रोड पर मिले थे उस समय करीब सबा आठ बजे का था। यह चोरी के घटना के लगभग एक माह बाद की बात है। मुल्जिमान को हम

शक्ल से पहले से जानते थे। हम अपनी मोटरसाईकिल पर बैठे थे तब मुल्जिमानों ने जान से मारने की नियत से फायर तो किये थे मुझे यह नहीं मालूम की फायर किस मुल्जिम ने किये थे। हमने कोई फायर नहीं किया। उसके बाद मुल्जिमान भागे तब हम लोगों ने ललकारा तो उनमें भगदड मंच गयी लेकिन उन्होनें फिर पीछे मुडकर हमारे फायर नहीं मारा तो हमने उनमें से एक मुल्जिम को पकड़ लिया। पकडा हुआ मुल्जिम भी भागा था, उसे हमने पकड लिया। तब उसके पास से तमंचा व दो कारतूस तथा एक नाल मे खोखा कारतूस बरामद हुआ था। गवाहन जाविर व इशवीर भी हम पुलिस पार्टी के साथ थे और उनके सामने ही अभियुक्त करन सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। भागने वाले लोगो का भो उन्होने पहचान लिया था। मौके पर बरामद तमंचा गवाह को दिखाया तो उसने कहा कि आज खोखा नाल में नहीं फंसा है। खोखा कारतूस को नाल से निकाल कर डिब्बे में रखकर सील सर्वे मोहर किया गया था। गवाह को मा० न्या० में डिब्बा जिसमें तमंचा व कारतूस रखे है उस के उपर चिपकी लगी है जिसके रेपर पर मेरे हस्ताक्षर है जिस पर गवाह ने बताया कि समस्त लिखा पढी डिब्बे पर मोके पर की गयी थी। बरामदा माल के डिब्बे पर चिपकी पर मेरे अलावा किसी ओर अन्य कर्मचारी व गवाहन इशवीर व जाविर के हस्ताक्षर नहीं है। डिब्बे सिल्प पर उनके हस्ताक्षर नही है नमूना मोहर पर उनके हस्ताक्षर है जो आज पत्रावली पर नही हैं। मेरी जानकारी में नहीं है कि नमूना मोहर पत्रावली पर क्यों नही है, मैं इसकी कोई वजह नही बता सकता। जो न्यायलय मे आज मौजूदा डिब्बा जिस पर रेपर लगा है उसका ढक्कन नीला है। मैंने अपने फर्द में नीला ढक्कन क्यों नही लिखा इसकी वजह मैं नहीं बता सकता। मैनें मौके पर तमंचा चला कर देखा था फायर करके नहीं देखा था। मैने बरामदा तमंचे की लम्बाई व चोडाई नहीं लिखी है बल्कि मुताविक हुलिया फर्द लिखा है। उपरोक्त घटना व मुल्जिमान से फर्द बरामदगी में लगभग ढाई घंटा का समय लगा था। उस समय रोड से कोई भी व्यक्ति व सबारी, घोडा तांगा, बाहन आदि इस बीच में नहीं निकले थे। मेरे बयान इस घटना के संबंध में घटने के अगले दिन बयान लिये थे। मैं विवेचक के साथ घटना स्थल पर गया था और नक्शा नजरी बन बाया था। यह कहना गलत है कि गवाहान जाविर व इशवीर ने मुल्जिमान को न पहचाना हो और न ही उनके सामने कोई घटना घटित हुई हो। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान को गवाहन ने चोरी का मुल्जिम होने का न बताया हो। यह कहना भी गलत है कि गवाहन से थाने पर बैठकर कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करा लिये हो। यह कहना भी गलत है कि गिरफ्तारी मैमो व समस्त कार्यवाही थाने पर बैठ कर की गयी हो। यह कहना गलत है कि बरामदा तमंचा पुलिस द्वारा दिखाया गया है वो एक खिलौना है बल्कि उससे कोई फायर न हुआ हो। यह कहना गलत है कि समस्त कार्यवाही थाने पर बैठकर झूठी तरीके से की हो। यह कहना गलत है कि मल्जिम करन सिंह के पास से कोई बरामदगी न हुई हो। यह कहना सही है कि उक्त घटना में किसी भी पुलिस कर्मचारी के कोई चोट आयी हो।

16– अभियोजन की ओर से **पी०डब्लू० 02 उपनिरीक्षक जोगेन्द्र सिंह**, को परीक्षित कराया गया है। उक्त साक्षी ने अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया कि दिनांक 23–9–2016 को मैं का० कर्लक के पद पर थाना शाहबाद के पद पर तैनात था इसी दिनांक को उपनिरीक्षक राजेश कुमार मय फोर्स के एक फर्द लाकर जामातालाशी एक तंमचा 315 बोर, दो जिंदा कारतूस व एक खोखा कारतूस सील सर्वे मोहर मय नमूना मोहर, मय अभियुक्त करन सिहं पुत्र सुंदरलाल कश्यप निवासी टांडा थाना शाहबाद जिला रामपुर को लाकर दाखिल किया था जिसके आधार पर मेरे द्वारा अपराध स०–606/2016 धारा 307 IPC दिनांक 23–09–2016 को बोल बोल कर कम्पयूटर अपरेटर शुभांकित त्यागी से पंजीकृत कराया गया था जिसका खुलासा GD नम्बर 57 समय 23:10 बजे पर किया गया है। पत्रावली पर कागज सं० 3 क/1 ता 3 क/4 को देखकर गवाह ने कहा कि ये वही चिक FIR है जो मेरे द्वारा फर्द के आधार पर बोल बोल कर टंकित करायी गयी थी। जिस पर थानाध्यक्ष के हस्ताक्षर है जिस पर प्रदर्श क–3 डाला

गया। पत्रावली कागज सं० 7 ख/76 खुलासा GD नम्बर 57 समय 23:10 बजे दिनांक 23–9–2016 को देखकर गवाह ने कहा कि ये वही GD कायमी है जो मेरे द्वारा बोल बोल कर टंकित करायी गयी थी जिस पर मेरे हस्ताक्षर है जिसे मैं अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करता हूं जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया।

17– पी०डब्लू० 2 ने अपनी **जिरह** में कथन किया कि माल मुल्जिम मेरे सामने आया था। फर्द दरोगा जी ने मुझे लाकर दी थी। माल मैंने देखा नहीं था, सील सर्वे मोहर था। माल शाम के समय दाखिल हुआ था। मुझे समय याद है, रात्रि के आठ बजे दाखिल हुआ था। मुझे घटना की तारीख का ध्यान नहीं है। मैंने चीफ में तारीख एफ. आई. आर देखकर लिखवायी है, फर्द के आधार पर लिखवायी है। फर्द दरोगा जी एस. आई राजेश कुमार ने मुझे मय माल मय मुल्जिम को दी थी। फर्द मेरे सामने नहीं लिखी गयी। फर्द मौके पर लिखी गयी थी, दरोगा जी ने बताया था। सील माल में एक तमंचा 315 बोर, दो कारतूस जिंदा, एक खोका कारतूस, सील सर्वे मोहर थे। सील माल पर लिखा होने की वजह से मैं बता रहा हूँ। दाखिल करने के उपरान्त मेरे द्वारा माल एच. एम को दिया गया था। एच. एम से मैं कोई भी माल दाखिल करने की स्लिम नहीं लेता। यह कहना गलत है कि दरोगा जी ने फर्द थाने पर बैठकर मेरे सामने लिखी हो। यह कहना भी गलत है कि तमंचा, दो कारतूस व खोखा थाने पर बैठकर ही मेरे सामने ही सील किया गया हो। यह कहना भी गलत है कि मुल्जिम करन सिंह को घर से बुलाकर झूठे मुकदमे में फंसाया गया हो। यह कहना गलत है कि पुलिस विभाग का होने के कारण झूठी गवाही देने आया हूं।

18– अभियोजन की ओर से **पी०डब्लू० 03 उपनिरीक्षक संदीप कुमार**, को परीक्षित कराया गया है। उक्त साक्षी ने अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया कि उपरोक्त विवेचना की विवेचना उपनिरीक्षक हरेन्द्र सिहं के स्थानान्तरण के पश्चात उपनिरीक्षक अवधेश सिहं राठौर को सुपुर्द हुयी उसके पश्चात उनका स्थानान्तरण स्थानान्तरण होने के बाद विवेचना मुझ उपनिरीक्षक के सुपुर्द की गयी। दिनांक 05–11–2016 को CD–5 मेरे द्वारा किता किया गया जिसमें विवेचना ग्रहण किया गया। दिनांक 28–11–2016 को CD–6 मेरे द्वारा किता किया गया जिसमें पूर्व किता CD का अवलोकन किया गया। दिनांक 30–11–2016 को CD–7 मेरे द्वारा किता किया गया जिसमें अभियुक्त सुरेन्द्र, नरेन्द्र, करन सिहं व कुवरपाल का माननीय न्यायालय द्वारा हाजिरी रोबकार प्राप्त किया। दिनांक 12–12–2016 को CD–8 मेरे द्वारा किता किया गया जिसमें फर्द बयान गवाह का० महावीर सिंह, का०दीपक कुमार, का० नवीन कुमार के अंकित किये गये। दिनांक 28–12–2016 को CD–9 मेरे द्वारा किता किया गया जिसमें अभियुक्त गण सुरेन्द्र, नरेन्द्र, करन सिहं व कुवरपाल के बयान अंकित किये गये। अभियुक्तगण के विरूद्व पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए मु०अ०सं०–606/2016 धारा 307 IPC दिनांक 28–12–2016 को माननीय न्यायालय प्रेपित किया गया था। जो पत्रावली पर कागज सं० 4 क के रूप में सलग्न है। जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया। पत्रावली पर मौजूद कागज सं० 5 क नक्शा नजरी को देखकर गवाह ने कहा कि ये वही नक्शा नजरी है जो उपनिरीक्षक हरेन्द्र सिहं द्वारा तैयार किया गया था जो मेरे साथ तैनात रहे है मैंने उन्हे लिखते पढते देखा है मैं उनके लेख को पहचानता हूं। जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया।

19– उक्त पी०डब्लू० 3 से **अभियोजन** द्वारा **जिरह** किये जाने पर कथन किया कि 23–10–2016 को थाने पर अभियुक्तगण करन, सुरेन्द्र कुवरपाल और नरेन्द्र के खिलाफ दर्ज किया गया था। ये मुकदमा मेरे सामने थाने पर पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना उपनिरीक्षक अवधेश सिहं राठोर को दिनांक 26–10–2016 को सुपुर्द की गयी थी। गवाह ने पर्चा देखकर बताया कि ये तारीख थी। गवाह ने फिर बताया कि मुकदमा दिनांक 23–9–2016 को दर्ज हुआ था जिसकी विवेचना हरेन्द्र सिहं को दी गयी थी उनके स्थानान्तरण

होने के पश्चात अवधेश सिहं राठौर को सुपुर्द की गयी। SI हरेन्द्र सिहं ने नक्शा नजरी बनाया था। फर्द गवाह राजेश कुमार सक्सेना को नक्शा नजरी के लिए घटना स्थल पर लेकर गये थे नक्शा नजरी दिनांक 09–10–2016 को बनाया था। अवधेश सिहं राठौर ने जिस दिन विवचेना ग्रहण की थी उसी दिन उनका स्थानान्तण हो गया था दिनांक 26–10–2016 को एक पर्चा काटा था। मैं मौके पर दिनांक 05–11–2016 को का० दीपक के साथ घटना स्थल पर गया था। घटना स्थल पर पहुंचने पर मुझे कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला कि जिसने यह कहा हो कि दिनांक 23–09–2016 को एसी कोई घटना घटी हो और किसी ने पुलिस पाटी पर फायर किया हो। मैंने वादी मुकदमा SI राजेश कुमार सक्सेना के बयानों वा का० दीपक, महावीर, नवीन के बयानों के आधार पर चार लोगों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया था। आसपास के लोगों ने बताया था कि दिनांक 23–09–2016 को पुलिस पार्टी पर फायरिंग हुयी थी में उनके नाम नहीं बता सकता। ये बात सही है कि घटना को बताने वाले या मुल्जिमों को पहचानने वाले व मुल्जिमानों को घटना कारित करने का बताने वाले गवाह जाबिर व यशवीर है जो पब्लिक के गवाह है। उनके फर्द बरामदगी पर भी हस्ताक्षर है। पब्लिक के और स्वत्रत गवाहों के मैने कोई बयान नहीं लिये। इस घटना के पूर्व विवेचक से पब्लिक के गवाहों ने बयान देने से मना कर दिया है। किसी भी विवेचक द्वारा केस डायरी में गवाहों के बयान से मना करने वाली बात का इंद्राज नहीं किया है। मैने प्रयास किया था परंतु मुझे भी पब्लिक के गवाहों ने बयान नहीं दिये थे मैने भी ये बात केस डायरी में अंकित नहीं की है। मैंने केस डायरी में ये इंद्राज नहीं किया इसकी में कोई बजह नहीं बता सकता। उपरोक्त पब्लिक के गवाह या स्वत्रत गवाह ने ही पुलिस पार्टी को मुल्जिमान के जागेश्वर तिराहे पर खडे होने व किसी बारदात को अंजाम देने व मुल्जिमान को पहचानने वाली बात बतायी थी और इसी आधार पर ये मुकदमा कायम किया गया था। यह कहना गलत है कि समस्त कार्यवाही झूठी व फर्जी है और एसी कोई भी घटना घटित ना हुई हो। यह कहना भी गलत है कि समस्त कार्यवाही आने पर ही बैठकर फर्जी की गयी हो. यह कहना भी गलत है कि मुल्जिम करन सिंह से कोई भी तमंचा व कारतूस बरामद ना हुआ हो। यह कहना गलत है कि मैं पुलिस विभाग का होने के कारण झूठी गवाही दे रहा है।

20– अभियोजन की ओर से **पी०डब्लू० 04 हे० कास्टेवल 523 नवीन कुमार**, , को परीक्षित कराया गया है। उक्त साक्षी ने अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया कि दिनांक 23.09.2016 को मैं थाना शाहबाद पर कास्टेबर के पद पर तैनात था। उक्त दिनांक को एस०आई० राजेश कुमार सक्सेना, का० दीपक कुमार, ग्राम टाण्डा तिराहे पर अपनी मोटर साइकिल से आये और हमसे कहा कि चोरों के खड़े होने की सूचना ग्राम खगेसर को जाने वाले कट पर है। उनकी सख्या 4 है फिर हम लोग अपनी अपनी मोटर साइकिल से सिरौली टाण्डा रो से खगेसर जाने वाले रास्ते की तरफ गये तो रास्ते पर खड़े व्यक्ति मोटर साइकिल की रोशनी से दिखाई दिए जो चार लोग थे उन चारो ने हम पुलिस वालों को पहचान लिया। तभी एक बदमाश ने कहा कि पुलिस आ गयी इनपर फायर करो और फिर इन लोगों ने हम लोगों को जान से मारने की नियत से दो फायर किये। हम पुलिस वालों ने बड़ी फुर्ती से ट्रेनिंग में सिखलायी का फायदा उठाकर मोटर साइकिल स्टैण्ड पर लगाकर मोटर साइकिल के पीछे छिपकर जान बचायी और बदमाशों को ललकारते हुए कहा कि इन्हें घेरों पकड़ लो। इनता सुनते ही बदमाशों में खलबली मच गयी और वह पीछे मुड़कर खेतों की तरफ भाग निकले हम लोगों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए गिरफ्तारी हेतु आवश्यक बल प्रयोग कर एक बदमाश को पकड़ लिया। तीन बदमाश भाग गये। जो पीछा करने पर भी पकड़ में नहीं आये। पकड़े गये बदमाश से नाम पता पूछा तो इसने अपना नाम करन सिंह पुत्र सुन्दर लाल कश्यप ग्राम टाण्डा थाना शाहबाद जिला रामपुर बताया। जमा तलाशी लेने पर इसने दाहिने हाथ से

एक तमंचा देशी 315 बोर बरामद हुआ। जिसका हुलिया मुताबिक फर्द है तथा दाहिने जेब (पहली पेन्ट की) से 02 कारतूस 315 बोर जिनकी पेंदी पर चोट के निशान थे। इससे भागने वालों साथियों के नाम पता पूछे तो एक नाम कुंवर सिंह पुत्र सोहनलाल,सुरेन्द्र पुत्र रामपाल, निवासीगण ग्राम टाण्डा थाना शाहबाद, रामपुर तथा तीसरे का नाम नरेन्द्र पुत्र नरेश निवासी ग्राम परोटा थाना शाहबाद जिला रामपुर बताया। मौके पर ही अभियुक्त की गिरफ्तारी प्रपत्र व फर्द दरोगा के द्वारा तैयार की गयी। तमंचा रखने का लाईसेंस तलब किया तो दिखाने से कासीर रहा। अभियुक्त को उसके जुर्म धारा 307 भा०द०सं० व 3/25 आर्म्स एक्ट से अवगत कराते हुए हिरासत पुलिस लिया गया। कास्टेबल दीपक को प्रधान प्रेमपाल के यहां से एक प्लास्टिक का डिब्बा मंगा कर तमंचे व कारतूस उसी में रखकर सील सर्वे मोहर किया गया। नमूना मोहर बनाया गया। दौरान गिरफ्तारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों का अनुपालन किया गया फर्द पर सभी के अलामात पढ़कर सुनाकर बनवाये गये तथा फर्द की एक प्रति अभियुक्त को दी गयी। माल, मुल्जिम थाने लाकर मुकदमा पंजीकृत कराया गया। माल, मालखाने दाखिल किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना थाने द्वारा भिजवायी गयी। गवाह ने फर्द पर अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त की। इस घटना के संबंध में दरोगा जी ने मेरे बयान लिये थे।

21– उक्त पी०डब्लू० 4 से **अभियोजन** द्वारा **जिरह** किये जाने पर कथन किया कि जाबिर जिसके फर्द बरामदगी पर हस्ताक्षर हैं वह प्रधान प्रेमपाल का नौकर था इस घटना से पूर्व प्रधान प्रेमपाल के घर लूट की घटना हुई थी उसकी मुझे दिनांक याद नहीं है मुझे ध्यान नहीं है। इस लूट की घटना की रिपोर्ट किसके खिलाफ हुई थी। लूट वाली घटना की एफ०आई०आर नामजद हुई थी या अज्ञात में दर्ज हुई थी याद नहीं है मामला पुराना होने के कारण याद नहीं है। प्रधान प्रेमपाल के घर चोरी हुई थी या लूट मुझे नहीं मालूम। हम कुंवर पाल, नरेंद्र व सुरेंद्र को पहले से नहीं जानते थे बल्कि गिरफ्तार हुए अभियुक्त करन सिंह के कहने पर इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी यह मुकदमा थाने पर मुकदमा अपराध का संख्या 606/2016 किस समय थाने पर पंजीकृत हुआ था यह ध्यान नहीं है इस मुकदमे की विवेचक कौन है मुझे ध्यान नहीं है। मुझे ध्यान नहीं है कि विवेचक ने मेरे बयान किस दिनांक को लिए थे। उक्त दिनांक को मैं व कांस्टेबल महावीर गश्त के लिए टांडा आए हुए थे, हमारी थाना शाहबाद से रवानगी का समय याद नहीं है। हम, मैं व महावीर लगभग 1 घंटे से रोड गश्त पर थे हमने कुछ संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की थी उनके नाम ध्यान नहीं है फर्द लिखते समय टॉर्च किसने दिखाई थी मुझे इस समय ध्यान नहीं है। मुझे ध्यान नहीं है कि जो टार्च फर्द लिखने के समय दिखायी गयी थी वो विवेचक को दी थी या नहीं। यह कहना गलत है कि चारों मुल्जिमानों का किसी मुकदमे से कोई संबंध ना हो बल्कि प्रधान प्रेमपाल के कहने से उन्हें झूठा मल्जिम बनाया हो। मुझे ध्यान नहीं है कि अभियुक्त करन सिंह के घर सूचना देने कौन गया था और गिरफ्तारी सूचना प्रपत्र पर किसके हस्ताक्षर कराए थे मुझे घटना की चौहद्दी याद नहीं है। मैं मुल्जिमान को पहले से नहीं जानता था जाकिर व शब्बीर उर्फ यशवीर ने मुल्जिमान के घटनास्थल पर खड़े होने की सूचना दी थी, उसी की सूचना के आधार पर मुल्जिमान को हमने पकड़ा था। दो फायर हुए थे लेकिन वह फायर किसने किए थे यह नहीं पता। जाकिर और यशवीर उर्फ शब्बीर मेरे मौके पर मौजूद थे। उनकी हमारे साथ गवाही कराई गई थी आरोप पत्र में मुल्जिमान को बताने वाले यशवीर उर्फ शब्बीर व जाकिर के गवाह नहीं बनाया गया क्यों नहीं बनाया गया है मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकता हूं। गवाह जकिर व उसके भाई शब्बीर के बताने पर ही हम प्रेमपाल के घर चोरी होने वाली बात बता रहे हैं विवेचना अधिकारी ने जाकर उसके भाई शब्बीर उर्फ यशवीर को गवाह क्यों नहीं बताय, मैं इसकी कोई वजह नहीं पता सकता हूं। उपरोक्त गवाहों के अलावा जनता का कोई और गवाह नहीं था मुझे ध्यान नहीं है की

सील पुलिंदा पर मेरे हस्ताक्षर बने थे या नहीं मैं पुलिस पार्टी के साथ नहीं था बल्कि मैं रोड गश्त पर था मुझे व कांस्टेबल महावीर को दरोगा जी व कांस्टेबल दीपक टांडा तिहारे से अपने साथ लेकर गए थे मुझे जानकारी नहीं है कि मुल्जिमान के विरुद्ध कोई चोरी का मुकदमा लिखा गया हो। यह घटना खेत के अंदर घटी थी लेकिन मुल्जिमान रोड पर खड़े थे जो हमें देखकर खुले खेत की तरफ भागे थे खेत में भागते हुए फायरिंग हुई थी फायरिंग किसने की मुझे नहीं मालूम बरामद तमंचे को मैं चला कर नहीं देखा था। इसलिए मुझे उसकी कोई चौड़ाई मालूम नहीं है यह कहना गलत है कि किसी के जाकिर वह शब्बीर उर्फ अजमेर ने हमें कोई सूचना न दी हो और हमने फर्जी फर्जी पर उनके हस्ताक्षर बनवा हूं यह कहना भी गलत है कि ऐसी कोई घटना घटित ना हुई हो यह मुकदमा बनाने के लिए पुलिस विभाग के गवाह बना लिए हो और झूठा मुकदमा पंजिकृत कराया हो। यह कहना भी गलत है कि कोई तमंचा व कारतूस खोखा बरामद न हुए हो और फर्जी बरामदगी दिखाई गई हो।

22– अभियोजन की ओर से दौरान बहस विद्वान ए०डी०जी०सी० द्वारा तर्क प्रस्तुत किया किया कि अभियुक्तगण कुंवर पाल, करन सिंह, सुरेन्द्र व नरेन्द्र के विरूद्व वादी मुकदमा राजेश कुमार सक्सैना व पुलिसपाटी को जान से मारने की नियत से फायर किया गया। अभियुक्तगण में से एक अभियुक्त करन सिंह मौके पर ही मिला। अभियुक्तगण के विरूद्व थाना शाहबाद जिला रामपुर पर मु०अ०सं० 606/2016, धारा 307 भा०दं०सं० के अन्तर्गत विवेचना करने के पश्चात चारों अभियुक्तगण के विरूद्व अन्तर्गत धारा 307 भा०दं०सं० प्रेषित किया गया। न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्व आरोप विरचित हुआ और अभियोजन द्वारा अपने साक्षियो द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्व आरोपित अपराध को संदेह से परे साबित किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध कठोर से कठोर दण्ड से दण्डित होने योग्य है।

23– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन के द्वारा घटना दिनांक 23.09.2016 की रात 8.30 हजे दर्शायी गयी है। जिसकी रिपोर्ट थाने पर उसी रात 23.10 बजे हुई है। लगभग दो घंटे चालीस मिनट के विलम्ब का कोई भी स्पष्टीकरण अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है जबकि थाने की दूरी घटनास्थल से 12 किलोमीटर है।

24– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण पर धारा 307 भा०दं०सं० के अपराध कारित करने के लिए अभियोजित किया गया है, जबकि घटना में किसी भी पुलिसवाले को कोई भी खरौंच तक भी नहीं आयी है। पुलिस के कथानक के अनुसार मुल्जिमानों ने पुलिस के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करी थी, जबकि घटनास्थल से मात्र एक खोखा कारतूस बरामद दिखाया गया है। पुलिसवालों के द्वारा मौके पर सभी बदमाशों को पहचान लेने की बात बतायी है, जबकि पुलिस उन बदमाशों को पहले से किस प्रकार जानती थी इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

25– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन के कथानक के अनुसार वादी मुकदमा राजेश कुमार सक्सैना उपनिरीक्षक के द्वारा प्रधान प्रेमपाल के नौकर जाविर व इशवीर की सूचना पर बदमाशों को मुठभेड़ में पकड़ना बताया है। इन गवाहों का दौरान मुठभेड़ व गिरफ्तारी भी मौके पर रहना फर्दी बरामदगी के अनुसार दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त ग्राम प्रधान के कोठे से ही दीपक के द्वारा प्लास्टिक का डब्बा मंगाकर उसमें तमंचा, कारतूस व खोखा कारतूस रखना दर्शया गया है, परन्तु विवेचक के द्वारा दौरान विवेचना इन पब्लिक के गवाहों का कोई भी बयान दर्ज नहीं किया गया और न ही अभियोजन द्वारा इन गवाहों को परीक्षित कराया गया। जो अभियोजन के कथानक को संदेहास्पद बनाता है। इससे यह साबित होता है कि पुलिस के द्वारा थाने पर बैठकर समस्त फर्जी कार्यवाही कर मु०अ०सं० 580/2016 अंतर्गत धारा–457,380 भा०दं०सं० में

अभियुक्तों को फंसाया गया हो।

26– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दौरान बहस में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि पुलिस के द्वारा जिस फर्द बरामदगी में जिस मुकदमे में अभियुक्तगण को संलिप्त बताया गया है और फर्द के गवाह जाविर व इशवीर की सूचना पर अभियुक्तगण को मौके से गिरफ्तार किया गया है। विवेचक के द्वारा उस मुकदमे के वादी प्रधान प्रेमपाल से इन अभियुक्तों की या जाविर व इशवीर से कोई शिनाख्त नहीं करायी गयी। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने मु०अ०सं० 580/2016 अंतर्गत धारा–457,380 भा०दं०सं० के विचारण में वादी प्रेमपाल सिंह के व गवाह जाविर के अदालत में दिए गए सशपथ कथनों की प्रति प्रस्तुत की है। जिसमें वादी मुकदमा प्रेमपाल सिंह ने मुल्जिम करन सिंह से उसके सामने कोई बरामदगी होने की बात से इन्कार किया है और गवाह जाविर ने अभियुक्तगण करन सिंह, कुंवर पाल, सुरेन्द्र व नरेन्द्र के द्वारा कोई चोरी की घटना करे जाने की बात से इंकार किया गया है और अज्ञात चोरों द्वारा घटना कारित करने की बात कही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पुलिस के द्वारा महज चोरी के मुकदमे की विवेचना को समाप्त करने के लिए अभियुक्तगण को झूठा फंसाया है और फर्जी 307 भा०दं०सं० के मुकदमें में फंसाया है।

27– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दौरान बहस में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि केवल अभियुक्त करन सिंह को ही मौके पर गिरफ्तार दर्शाया गया है अन्य सभी मुल्जिमान मौके से गिरफ्तार नहीं है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि करन सिंह को घर से बुलाकर फर्जी घटना बनाकर मुकदमा लिखाया गया है। अभियोजन द्वारा एक भी पब्लिक का साक्षी प्रस्तुत नहीं कराया गया है जबकि फर्द में पब्लिक के साक्षी के हस्ताक्षर है। अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू० 4 का० नवीन कुमार द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया है कि वह मुल्जिमान को पहले से नहीं जानते थे। अभियुक्त करन सिंह के कहने पर उन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखायी थी। जबकि फर्द बरामदगी में वादी मुकदमा व हमराहीयान द्वारा सभी मुल्जिमानों को देखा जाना व पहचाना जाना बताया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि फर्जी रूप से मुकदमा लिखा गया है।

28– अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना एवं पत्रावली पर आए समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। विवेचक के द्वारा दौरान विवेचना निष्पक्ष पब्लिक के साक्षियों का बयान दर्ज न किया जाना एक गंभीर त्रुटि है। नक्शा नजरी में भी विवेचक के द्वारा पब्लिक के गवाहों का खड़ा होने की कोई जगह नहीं दर्शायी गयी है। यह भी असंभव है कि घटनास्थल से चार में से तीन अभियुक्त भागने में सफल हो जाते हैं और एक अभियुक्त मौके पर गिरफ्तार हो जाता है और सभी अभियुक्तों के द्वारा पुलिस पाटी पर जान से मारने की नीयत से ताबड़–तोड़ फायरिंग की जाती है। और मौके से केवल एक खोखा कारतूस बरामद होता है। अभियोजन के द्वारा जितने भी गवाह प्रस्तुत किए गए हैं वह सभी पुलिस के ही गवाह है। एक भी पब्लिक का गवाह अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन का यह कर्तव्य है कि वह अभियुक्त पर आरोपित अपराध को संदेह से परे साबित करे। विवेचक द्वारा समबर्द्ध मुकदमे के वादी प्रेमपाल के द्वारा और उसके नौकरो के द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तों की शिनाख्त नहीं करायी गयी जो एक महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत मामले में हो सकता था। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा **Ankush Maruti Shinde Vs. State of Maharashtra, AIR 2019 SC 1457** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि–Serious lapse on the part of the investigating agency which affects fair investigation and fair trial amounts to violation of fundamental rights of the accused guaranteed under Articles 20 and 21 of the Constitution of India. In this case, TIP was conducted by the Special Executive Magistrate after 33 days after

arrest of the accused persons and 50 days after commission of the offence. The eye witnesses had though identified the accused persons during trial in the court but had not given particular descriptions of the accused persons during the TIP and the said delay in conducting the TIP was also not explained by the prosecution. The dummy persons to identify the accused persons during the TIP were selected by the police though they were required to be selected by the Special Executive Magistrate. In this case of rape, murder and dacoity, the DNA report and the finger prints report did not support the prosecution story and there was no availability of sufficient light on the spot of the incident.

29– अतः अभियुक्तगण को मात्र संदेह के आधार पर दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है, यदि पत्रावली पर आये साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध संदेह से परे साबित नहीं होता है तो अभियुक्तगण दोषमुक्त किए जाने योग्य है। अभियोजन प्रस्तुत मामले में अभिुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। तदनुसार अभियुक्तगण **कुंवर पाल, करन सिंह, सुरेन्द्र व नरेन्द्र** लगाये गये आरोप अर्न्तगत धारा 307/34 भा०दं०सं० में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

1– अभियुक्तगण **कुंवर पाल, करन सिंह, सुरेन्द्र व नरेन्द्र** को सत्र परीक्षण सं० 454/2017, मु०अ०सं0 606/2016, थाना–शाहबाद, जिला रामपुर के अभियोग में उसके विरुद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–**307/34 भा०दं०सं०** में **दोषमुक्त** किया जाता है।

2– अभियुक्तगण इस मामले में जमानत पर है, उनके व्यक्तिगत बंधपत्र व जमानतनामें निरस्त किये जाते हैं तथा जामिनान को जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

3– अभियुक्तगण को निर्देशित किया जाता है कि वे धारा–437 ए. दं०प्र०सं० के अनुपालन में मु० 25,000/– रूपये का निजी बन्ध पत्र व इतनी ही धनराशि के दो–दो प्रतिभू अन्दर 7 दिन दाखिल करें।

(सुमित पंवार)
दिनांक–28–07–2026 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
न्यायालय, कोर्ट सं० 9, रामपुर।
(J.O.Code–UP2692)

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित करके सुनाया गया।

(सुमित पंवार)
दिनांक–28–07–2026 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
न्यायालय, कोर्ट सं० 9, रामपुर।
(J.O.Code–UP2692)